नईदुनिया

ट्रैफिक पुलिस के एएसआई ने 315 बोर की रायफल से गोली मारकर की खुदकुशी

भोपाल(काप्र)। शहर के कमला नगर थाना इलाके में स्थित नेहरू नगर पुलिस लाइन में रहने वाले ट्रैफिक पुलिस के एक एएसआई ने बुधवार सुबह अपने घर में लाइसेंसी 315 बोर की राइफल को गले पर रखकर ट्रैगर दबा कर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जॉच में सामने आय है कि मृतक की पत्नि कैसर जैसी गभीर बीमारी से पीड़ीत थी, जिसे लेकर वह डिप्रैशन में आ गये और इसी तनाव के चलते उन्होने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले योगेंद्र यादव भोपाल के जोन नंबर 4 में पदस्थ थे। परिवार में पत्नी सहित तीन बेटे है। बड़ा बेटा अमित संगीत प्रोग्राम करता है, दूसरा सुमित और तीसरा बेटा मोहित निजी नौकरी करते है। परिवार वालो ने पुलिस को बताया की योगेंद्र रोजाना की तरह बुधवार सुबह जल्दी उठे और पूजा करने के बाद बड़े करीब 9 बजे बड़े बेटे अमित से रायफल साफ करने की बात कहकर फ्लैट के गेट पर खड़े हो गये थे। इसके बाद परिवार वालो ने गोली चलने की आवाज सुनी। जाकर देखने पर पता चला कि गोली उनकी ठुड्डी को चीरते हुए सिर से बाहर निकल गई। काफी नजदीक से गोली लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जॉच के बाद मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिये भेज दिया।

योगेद्रं 36 साल से पुलिस सेवा में थे, और दो साल बाद उनका रिटायरमेंट होना था। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि है की उनकी पत्नी कैसंर की बीमारी से पीड़ीत है। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन स्वास्थय में सुधार न होने के कारण योगेंद्र बीते दो सालो से तनाव में रह रहे थे। उनका डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। इस कारण एएसआई बीते डेढ़ महीने से सिक लीव पर थे।

स्वच्छता सेवकों का कार्य दूसरों के लिए सेवाभाव : निगम आयुक्त

भोपाल (काप्र)। निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने दानापानी कचरा ट्रांसफर स्टेशन में विभिन्न जोनों के स्वच्छता सेवकों एवं वाहन चालकों को कचरा पृथक्कीकरण एवं नागरिकों को जागरूक करने के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया।

श्री नारायन ने कहा कि स्वच्छता सेवकों का कार्य दूसरों के लिए सेवाभाव वाला कार्य है और उनका यह कार्य सराहनीय है। निगम आयुक्त ने कचरा पृथक्कीकरण और नागरिकों को गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक देने के प्रति जागरूक करने के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि उनका कार्य उत्कृष्ट है और कार्य के प्रति उनकी लगन एवं ईमानदारी है। श्री नारायन ने स्वच्छता सेवकों को सुरक्षा उपकरण दस्ताने आदि पहनकर ही साफ-सफाई करने तथा सेनेटाइजर से हाथ धोने की समझाइश देते हुए कहा कि स्वयं और परिवार की सुरक्षा करें। इस अवसर पर अपर आयुक्त सुश्री टीना यादव, उपायुक्त योगेन्द्र सिंह पटेल तथा संबंधित जोनों के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी मौजूद थे।

निगम आयुक्त ने बुधवार को दानापानी कचरा ट्रांसफर स्टेशन में जोन क्र. 12, 10, 13, 14, 18, 08 एवं दानापानी कचरा ट्रांसफर स्टेशन के स्वच्छता सेवकों एवं वाहन चालकों को कचरा पृथक्कीकरण एवं नागरिकों को गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक कर देने के लिए जागरूक करने के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। निगम आयुक्त ने जोन क्र. 01 के संतलाल वाल्मीकी, जोन क्र. 10 प्रदीप, जोन क्र. 13 मोपा वाल्मीकी, श्रीमती ऊषा सुरेश पाटिल, जोन क्र. 14 श्रीमती लक्ष्मी केठल, जोन क्र. 18 कैलाश, जोन क्र. 08 पप्पू तमोले तथा दानापानी के स्वच्छता सेवक राजेश वाल्मीकी एवं वाहन चालक आमिर, बब्लू, आबिद तथा श्रीमती चन्द्रकांता, श्रीमती आशा बाई को शॉल-श्रीफल भेंट कर एवं मिष्ठान खिलाकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर श्री नारायन ने कहा कि स्वच्छता सेवकों का कार्य दूसरों के लिए सेवाभाव वाला कार्य है और उनका यह कार्य सराहनीय है। निगम आयुक्त ने कचरा पृथक्कीकरण और नागरिकों को गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक देने के प्रति जागरूक

थोक वस्त्र व्यवसाय संघ महापौर से मिला, सौंपा ज्ञापन

भोपाल (हिनप्र)। नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के साथ लाइसेंस शुल्क के लिए दबाव बनाने को लेकर व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने महापौर मालती राय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पर थोक कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष कन्हैयालाल इसरानी ने किया।

ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा कि लाइसेंस शुल्क एवं प्रापट्री टैक्स को अलग-अलग कर लाइसेंस शुल्क को पूर्व की तरह कोड वाइस किया जाना चाहिए। नगर निगम द्वारा बीते तीन सालों से से प्रापट्री टैक्स एवं लाइसेंस शुल्क को साथ में करते हुए लाइसेंस शुल्क को 6 रूपये एवं 4 रूपये वर्ग फिट में कर दिया गया है, जो अधिक है। इसे लेकर व्यापारियों में असंतोष है। कोविड के बाद वैसे ही व्यापार काफी प्रभावित हुआ है एवं मंदी का दौर चल रहा है। नगर निगम द्वारा टैक्स में बढोत्तरी करना उचित नहीं है।

व्यापारियों ने प्रापट्री टैक्स एवं लाइसेंस शुल्क को अलग- अलग कर दिया जाये क्योंकि लाइसेंस शुल्क व्यापारी भरते है। प्रापट्री टैक्स दुकान/मकान मालिक भरते हैं, जिससे कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसरानी ने बताया कि महापौर ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए प्रॉपर्टी टैक्स एवं लाइसेंस शुल्क को अलग-अलग करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। तुरंत एक्शन लेने पर थोक वस्त्र व्यवसाय संघ ने महापौर का आभार जताया है। प्रतिनिधि मंडल में थोक वस्त्र व्यवसाय संघ के पूर्व अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश इसरानी, वासदेव वाधवानी, मनोहर विधानी व अन्य व्यापारी शामिल थे।

सतत् संवाद और जागरुकता से बनेगी स्वच्छता की बातः हरेन्द्र

भोपाल (काप्र)। निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन के निर्देश पर नगर निगम, भोपाल ने कचरे को स्त्रोत पर ही पृथक्कीकृत कर संग्रह करने हेतु अभियान शुरू किया है। निगम द्वारा घर, दुकान एवं संस्थान के कचरे को स्त्रोत पर ही अलग-अलग करने हेतु जोन स्तर पर सतत् रूप से संवाद किया जा रहा है और समझाइश भी दी जा रही है साथ ही निगम के डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन वाहन में पृथक से बने कम्पार्ट में कचरे को रखने की कार्यवाही भी की जा रही है। इस कचरे को पीथमपुर स्थित खतरनाक घरेलू कचरे की सांईटिफिक लैण्डफिल साईट में भेजा जाता है और यहां पर इस कचरे को पुनः पृथक्कीकृत कर वैज्ञानिक ढंग से निपटान किया जाता है। निगम आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम, भोपाल ने कचरे को स्त्रोत पर ही पृथक्कीकृत कर संग्रह करने हेतु अभियान शुरू किया है।

योगा-श्वांस प्रशिक्षण शिविर में लालसाईं ने दिए टिप्स

भोपाल (हिनप्र)। श्वास आराम से लें, आराम से छोड़े। ज्यादा श्वास लेने से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा ऐसा नहीं है। सहजता के साथ श्वांस लें। श्वांस लेने में यदि असहजता है तो समझ लिए शरीर अस्वस्थ है।

यह बात संतनगर के टैंपल ऑफ संबोधि में चल रहे योगा, श्वांस क्रिया शिविर में वेदांत विचारक लालसाईं ने कही। उन्होंने कहा वजन कम करने लिए लोग कम कैलोरी का सेवन कर रहे हैं, जबकि वजन को कम करने के लिए श्वांस को अपनी औषधि बनाई। चाहकर भी वजन नहीं कर पा रहे तो मानिए आप श्वांस ठीक से नहीं ले रहे हैं। श्वांस लेने के बाद कितनी देर फेफड़ों में रोक सकते हैं, यह निरोगी और रोगी होने का अंतर समझाने वाला होता है। साईंजी ने कहा मुंह बंद करके, जीभ को तालू से लगाकर सहजता से श्वांस लें।

श्री जगन्नाथ रथयात्रा संतनगर में 15 को

भोपाल (हिनप्र)। अंतराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन) संतनगर में श्री जगन्नाथ रथयात्रा निकालेगा। 15 जुलाई को रसानंद दास के सानिध्य में रथ यात्रा मुख्य मार्ग पर निकलेगी, जिसकी शुरूआत काली माता मंदिर चौराहे से प्रारंभ होगी। रेलवे स्टेशन चौराहा, भगत कंवरराम चौराहा, सिविल अस्पताल, बस स्टैण्ड, एफ वार्ड, ज्ञानचंदानी क्लीनिक रोड, चंचल स्वीट्स मार्ग, पंजाब नेशनल बैंक चौराहे से होती हुई इस्कॉन संतनगर केन्द्र पर समाप्त होगा। रथयात्रा में देश-विदेश के श्रद्धालु शामिल होंगे।

कार्यालय थाना प्रभारी थाना हनुमानगंज भोपाल, जिला- भोपाल

क्र./ था.प्र./हनु.गंज/ भो./मर्ग क्र.20/24 धारा जा..फौ. दिनांक - 03/07/24

सूचना

दिनांक 26/06/ 24 को सूचक अजय खटिक पिता मुन्ना लाल खटिक उम्र 24 साल निवासी म.न. 18 गली न 02 एकता नगर कालोनी छोला रोड थाना हनुमानगंज भोपाल ने थाना उपस्थित आकर मौखिक सूचना दिया कि मैं उपरोक्त लिखाये पते पर रहता हूँ । भोपाल रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म नम्बर 6 के तरफ गुप्ता जी के पार्किंग में काम करता हूँ दिनांक 25/06/24 को रात्रि 11.30 बजे करीब कुछ लोगो ने बताया कि बंटी के चाय के दुकान के सामने एक अज्ञात व्यक्ति उम्र 70 साल करीब का पड़ा हुआ है तो मैने वहा जाकर देखा तथा आवाज दिया आसपास के लोगो ने भी आवाज दिया लेकिन कोई मुमेन्ट नही हुआ, फिर उस व्यक्ति को हिलाडुला कर देखा तो कोई मुमेन्ट नही कर रहा था। पानी का भी छिटा मारने पर भी कोई मुमेन्ट नही कर रहा था फिर लोगो ने चेक किया को उनकी मृत्यु हो गई थी । मै थाने पर सूचना देने आया हूँ । उस व्यक्ति की हूलिया उम्र करीब 70 साल, दुबला पतला, कद 5 फीट 6 इंच लगभग, हरी रंग की शर्ट तथा काले रंग की जीन्स पहने है । सिर, दाढी, मूछ के बाल सफेद, देखने पर भिखारी जैसा लग रहा है । मर्ग कायम कर जाँच मे लिया गया है। अज्ञात मृतक की तलाश पतारसी के सतत प्रयास जारी है किन्तु मृतक का कोई पता नही चल पा रहा है । अज्ञात मृतक का हुलिया रंग- उम्र करीब 70 साल, दुबला पतला, कद 5 फीट 6 इंच लगभग, हरी रंग की शर्ट तथा काले रंग की जीन्स पहने है । अतः अज्ञात मृतक संबंध मे कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया थाना हनुमानगंज भोपाल (म.प्र.) के संपर्क नंबर 0755-2677323 अथवा 7587601742 प एवं जाँच अधिकारी के मोबाईल नंबर 7049105606 पर सूचना देने का कष्ट करें।

जी-13268/24 थाना प्रभारी थाना हनुमानगंज भोपाल

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे ग्राम पलासी में शंकराचार्य धाम नाम की कालोनी में एसके रियल बिल्ड एसोसिएट द्वारा एल. आई. जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. विक्रय करने हेतु आज सूचना प्रकाशित की गई है। इच्छुक खरीददार व्यक्ति संपर्क करें।

एस.के.रियल बिल्ड एसोसिएट, 30 कोलवानी रोड भोपाल
मो. 70073409/6268335470

1157

पेज एक से जारी खबरों के शेष...

हमारे राजनयिक संबंध...

जा सके। मोदी और ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने ऑस्ट्रिया के वियना में संघीय चांसलरी में एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। इससे पहले वार्ता से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने संघीय चांसलरी में अतिथि पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर किए। रूस में अपने व्यस्त कार्यक्रम निपटाने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे और 41 साल बाद यूरोपीय देश का दौरा करने वाले पहले भारतीयप्रधान मंत्री बने। भारतीय कंडक्टर विजय उपाध्याय के नेतृत्व में ऑस्ट्रियाई गायक मंडली द्वारा गाए गए %वंदे मातरम% की प्रस्तुति से पहले भारतीय समुदाय के सदस्यों और ऑस्ट्रियाई सरकारी अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इससे पहले कहा था कि जैसा कि दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इस महत्वपूर्ण यात्रा से भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों में नई गति जुड़ेगी। ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति देकर मोदी का स्वागत किया।ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व विजय उपाध्याय ने किया। उपाध्याय का जन्म लखनऊ में हुआ था। साल 1994 में वह वियना विश्वविद्यालय फिलहार्मनी के निदेशक बने। वह यूरोपीय संघ संस्कृति परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों की जूरी में ऑस्ट्रियाई प्रतिनिधि हैं और भारत के राष्ट्रीय युवा ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक और कलात्मक निदेशक हैं। मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि ऑस्ट्रिया अपनी जीवंत संगीत संस्कृति के लिए जाना जाता है। वंदे मातरम के इस अद्भुत गायन की बदौलत मुझे इसकी झलक मिली! मोदी ने इसके साथ ही इस कार्यक्रम का वीडियो भी साझा किया। मोदी बुधवार को ऑस्ट्रिया गणराज्य के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री और चांसलर नेहमार भारत और ऑस्ट्रिया के कारोबारी नेताओं को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रिया रवाना होने से पहले मोदी ने रविवार को कहा था कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता तथा कानून के शासन जैसे साझा मूल्य वह आधार हैं जिस पर दोनों देश नजदीकी साझेदारी बनाएंगे।

दस वर्षों में...

ड्यूटी, इस वर्ष जून माह में 8 घंटे से भी कम है। केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही यात्रा की अवधि निर्धारित घंटों से अधिक होती है। श्री वैष्णव ने कहा कि लोको पायलट लोको कैब से इंजन चलाते हैं। 2014 से पहले कैब की हालत बहुत ख़राब थी। 2014 के बाद से, एर्गोनोमिक सीटों के साथ कैब में सुधार किया गया है, और इस समय सात हजार से अधिक लोको कैब वातानुकूलित हैं। नये लोकोमोटिव का निर्माण में अनिवार्य रूप से एसी कैब लगाया जा रहा है। ऑफ-ड्यूटी विश्राम सुविधाओं के बारे में उन्होंने कहा कि जब पायलट एक यात्रा पूरी कर लेते हैं, तो मुख्यालय से बाहर होने पर वे आराम के लिए रनिंग रूम में आते हैं। 2014 से पहले रनिंग रूम की हालत बहुत ख़राब थी। अब लगभग सभी (558) रनिंग रूम वातानुकूलित हैं। कई रनिंग रूम में फुट मसाजर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। संयोगवश, कांग्रेस ने लोको पायलटों की कामकाजी परिस्थितियों को समझे बिना इसकी आलोचना की थी। भर्ती नहीं होने के आरोपों का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, बड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई और 34 हजार रनिंग स्टाफ की भर्ती की गई है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे...

है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गये लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो- दो लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख प्रकट किया है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार के सिवान से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस तेज रफ्तार में थी और उसने दूध के टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी। इससे पहले कहा गया था कि टैंकर ने बस को टक्कर मारी थी। जिलाधिकारी ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) एसबी शिरोडकर ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई जिनमें 14 पुरुष, तीन महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हादसे में 19 लोग घायल हो गये हैं। क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ अरविंद कुमार ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और टैंकर दोनों पलट गये।

अड़तीस साजिशकर्ता...

सूचीबद्ध कर दिया। उच्च न्यायालय ने पहले निचली अदालत के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी जिसके द्वारा केजरीवाल को मामले में जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा, जो याचिका पर सुनवाई करने वाली थीं, को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने सूचित किया कि उन्हें उनकी याचिका पर केजरीवाल का जवाब मंगलवार देर रात ही दिया गया था और एजेंसी को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। जबकि जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि जवाब की प्रति उन्हें मंगलवार रात 11 बजे दी गई थी, केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को दोपहर 1 बजे दी गई थी।

देश में डेंगू के...

दिया। उन्होंने अधिकारियों को डेंगू के खिलाफ रोकथाम, रोकथाम और प्रबंधन उपायों को मजबूत करने और मजबूत करने का निर्देश दिया। नड्डा ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे मुख्य रूप से उच्च बोझ वाले राज्यों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जहां अक्सर प्रकोप की सूचना मिलती है। उन्होंने अधिकारियों से डेंगू की रोकथाम पर ठोस परिणाम लाने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), शिक्षा मंत्रालय और नगर निगमों और स्थानीय स्वशासन को शामिल करते हुए डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर-मंत्रालयी अभिसरण बैठकों पर जोर दिया।

पश्चिम बंगाल का...

था। संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी कि राज्य सरकार किसी भी मामले में सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के लिए सर्वव्यापी, व्यापक और सर्वव्यापी निर्देश जारी करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकती।श्री मेहता ने कहा था कि राज्य सरकार केवल अलग-अलग संबंधित मामले के आधार पर सहमति देने/अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। उन्होंने अदालत से पश्चिम बंगाल के मुकदमे को खारिज करने का अनुरोध किया था। मेहता ने यह भी कहा था कि सीबीआई केंद्र के अधीन नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय है। इसलिए, इस मामले में केंद्र सरकार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर शीर्ष अदालत के समक्ष दो अलग-अलग मामलों में एक ही मुद्दे पर मुकदमा चलाने का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी कि सीबीआई राज्य सरकार की आम सहमति के बिना पश्चिम बंगाल से संबंधित मामलों की जांच नहीं कर सकती। उन्होंने आगे दलील दी कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम इस देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टी.सी.) में मेरे पुत्र का नाम अभिजीत गौतम आ. अवधेश कुमार गौतम हो गया है। मेरे पुत्र का वास्तविक नाम हर्ष गौतम आ. अवधेश कुमार गौतम है जो कि मेरे पुत्र के अन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम हर्ष गौतम आ. अवधेश कुमार गौतम है इसलिये मेरे पुत्र के स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टी.सी.) में मेरे पुत्र का नाम हर्ष गौतम आ. अवधेश कुमार गौतम किया जावे।

नया नाम - हर्ष गौतम आ. अवधेश कुमार गौतम HARSH GAUTAM S/o AVADHESH KUMAR GAUTAM

पुराना नाम - अभिजीत गौतम आ. अवधेश कुमार गौतम ABHIJEET GAUTAM S/o AVADHESH KUMAR GAUTAM

अवधेश कुमार गौतम आ. श्री देवीदयाल गौतम
निवासी मकान नं. - 21, नि.म.न. इन्द्रा नगर
1156 **कॉलोनी भानपुर भोपाल**

कार्यालय तहसीलदार नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल (पुराना आर.टी.ओ कार्यालय भोपाल)

प्रकरण क्रमांक-/अ-6-24-25

आमसूचना

आवेदक लक्ष्मण पाटिल आ0 श्री ईरभान पाटिल, दिव्या पाटिल पुत्री श्री लक्ष्मण पाटिल एवं दिव्यांश पाटिल आ0 श्री लक्ष्मण पाटिल निवासी-202, भवानी पैलेस इन्द्रपुरी भोपाल द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र के साथ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 1/3143 दिनांक 19.05.2014 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 159 में से रकबा 800 वर्गफिट ग्राम महोली तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम किये जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। अतएवं एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि यदि इस संबंध मे किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 17.072024 के भीतर स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नही किया जावेगा।मेरी पदमुद्रा य आज दिनांक को जारी

तहसीलदार
1153 **नजुल वृत्त गोविंदपुरा, भोपाल**

न्यायालय तहसीलदार

नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त, जिला भोपाल (म.प्र.)
(पुराना जिला पंचायत भवन, जिला भोपाल)

क्रमांक-आर.एस. 444/760/10295 2024

इश्तहार

आवेदक उर्वशी मिश्रा आ. पत्नी अनादि मिश्रा निवासी म.न. जे 18/1 प्लाट नं. ए 72 राजहर्ष कालोनी रोड भोपाल मप्र द्वारा हिनोतिया आलम स्थित खसरा नं./प्लाट नं. 403, 404, 405/1 व अन्य क्षेत्र 4.27 हेव. मे से पर विक्रय पत्र /फौती/वसीयत नामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 26.07.2024 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिषाक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 10.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद म्रुदा से जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर
1155 **(बैरागढ़)-वृत्त, भोपाल**

जाहिर सूचना

दुकान क्रमांक-एल.जी - 9-10 स्थित चूना भट्टी कोलार रोड भोपाल के संबंध में

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार दुकान क्रमांक एल जी 09 एवं 10 जो बेस्टेंड प्लाजा चूना भटटी कोलार रोड भोपाल में स्थित है तथा मेरे पक्षकार फ्लैट नंबर 9/5 झरनेश्वर काम्पलेक्स नार्थ टी.टी. नगर जवाहर चौक भोपाल मे निवास करते है तथा वह अपनी मूल रजिस्ट्री लेकर दिनांक 25/06/2024 को दोपहर में लगभग 2 बजे जवाहर चौक फोटो कापी कराने हेतु गये थे तथा उनके पास दो फोल्डर थे दोनो में अलग अलग रजिस्ट्री रखी हुई थी जिसमें से एक रजिस्ट्री श्रीमती पूनम सिंह पत्नी श्री बी. सिंह के नाम की थी जिनसे मेरे पक्षकारउक्त दुकान क्रमांक एल जी 09 एवं एल.जी 10 क्रय की थी जिसमें से श्रीमती पूनम सिंह पत्नी श्री बी. सिंह के नाम वाली रजिस्ट्री का फोल्डर / बैग रास्ते में कहीं गिर गया है, जो काफी ढने पर भी नही मिला जिसके संबंध में थाना टी.टी. नगर भोपाल में दिनांक 25/06/2024 को लिखित सूचना दे दी गई है यदि उक्त रजिस्ट्री किसी भी व्यक्ति को मिलती है और यदि वह थाने में जमा करा दे तथा मुझे सूचित करने की कृपा करे और यदि उक्त रजिस्ट्री का कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का दुरूपयोग करता है तो उसके लिये वह कानूनी रूप से स्वयं जिम्मेदार होगा।

(कुणाल श्रीवास्तव) अधिवक्ता
सीनियर एच. आई. जी. - 51 सहयाद्रि परिसर भदभदा रोड, भोपाल
8435853474-9826088429
1152

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम सतीश आ. श्री मोहनलाल एवं अल्का पत्नी श्री सतीश निवासी हरिजन मोहल्ला, लसुडिया महा, शाजापुर मध्य प्रदेश, अपने पुत्र जिसका नाम सार्थक उर्फ कुश है। हम अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर कुश (Kush) कर रहे है। अतः भविष्य से हमरे पुत्र को उसके सही नाम कुश (Kush) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम सतीश आ. श्री मोहनलाल एवं अल्का पत्नी श्री सतीश निवासी हरिजन मोहल्ला, लसुडिया महा, शाजापुर मध्य प्रदेश, अपने पुत्र जिसका नाम समर्थ उर्फ लव है। हम अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर लव (love) कर रहे है। अतः भविष्य से हमरे पुत्र को उसके सही नाम लव (love) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

1154

कार्यालय संपदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित शेड क्रमांक-242/बी मण्डल द्वारा श्री रतन कुमार जैन आत्मज श्री सुदर्शन लाल जैन के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 01/07/1994 को किया गया है। श्री रतन कुमार जैन का स्वर्गवास दिनांक 12/03/1997 को हो गया है। आवेदक आवंटी की पत्नी श्रीमती रजनी जैन पत्नी स्व. श्री रतन कुमार जैन द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अन्य वारिसो का अनापत्ति शपथ पत्र एवं मण्डल का निर्धारित आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति अपने नाम से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
1136 **म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1, भोपाल**

न्यायालय तहसीलदार

तहसील-कोलार,जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-1151/अ-6-24-25

उद्घोषणा पत्र

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक स्कंद गुप्ता आ. नरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी भोपाल म.प्र. भू.रा. सहिता 1995 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बावड़िया कला प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नंबर 39/1/1/2 ख रकबा 0.055 हैक्टेयर के अंश भाग में आवासीय भूखंड क्र. 46 जिसका क्षेत्र 124.81 वर्गमीटर का नामांतरण विक्रय पत्र के आधार राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 19.07.2024 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समायावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10.07.2024 को जारी किा गया ।

तहसीलदार
1151 **तहसील कोलार, भोपाल**

न्यायालय तहसीलदार

तहसील-कोलार,जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-1200/अ-6-24-25

उद्घोषणा पत्र

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्राची अग्रवाल पत्नी अनुज अग्रवाल निवासी भोपाल म.प्र. भू.रा. सहिता 1995 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम भैरोपुर प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नंबर 22/2/1, 122, 123, 122, 123, 115, /2, 136,137,138,139,140 व अन्य के अंश भाग में आवासीय फ्लैट बी 08/204 ब्लाक बी08सेकंड फ्लोवर का नामांतरण विक्रय पत्र के आधार डा. गोविंद नारायण फारच्युन सौम्या हैरीटेज राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है।उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 19.07.2024 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समायावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10.07. 24 को जारी किा गया ।

तहसीलदार
1150 **तहसील कोलार, भोपाल**